

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक-5..... अप्रैल, 2019

संख्या-3/नि0सं0-09-87/2014 का.- 2939/ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री दीपांकर श्रीज्ञान (कोटि क्रमांक- 808/बी, गृह जिला- पटना) को विभागीय अधिसूचना सं0- 7427 दिनांक 17.08.2015 द्वारा निदेशक, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के पद पर 03 (तीन) वर्षों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि 20.08.2018 से इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि अगले 02 वर्षों (दिनांक 20.08.2020) तक विस्तारित की जाती है।

2. उक्त अवधि विस्तार संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-221536/JAS(SCB)/2019 दिनांक 28.02.2019 के आलोक में किया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-3/नि0सं0-09-87/2014 का.- 2939/ राँची, दिनांक-5..... अप्रैल, 2019
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-3/नि0सं0-09-87/2014 का.- 2939/ राँची, दिनांक-5..... अप्रैल, 2019
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची/श्री एस.सी. बर्मा, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/श्री एस0ए0 जमाल, प्रशासनिक पदाधिकारी, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट, नई दिल्ली/अपर मुख्य सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं श्री दीपांकर श्रीज्ञान, झा0प्र0से0, निदेशक, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।